****

**दि ओरिएण्‍टल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड़प्रधान कार्यालय- ए-25/27, आसफ अली रोड़, नई दिल्‍ली – 110002**

**प्‍लेट-ग्‍लास बीमा**

नीचे अनुसूची में नामित बीमाकृत व्‍यक्ति, जो इस बीमा के प्रयोजन के लिए उसमें वर्णित कारोबार कर रहा है और कोई अन्‍य करोबार नहीं कर रहा है, उक्‍त अनुसूची में बताई गई तारीख के प्रस्‍ताव और घोषणा द्वारा, जिस प्रस्‍ताव और घोषणा बारे में इसके द्वारा करार किया जाता है कि वे इस संविदा के आधार होंगे और इसमें सम्मिलित समझे जाएंगे **दि ओरिएंटल इंश्‍योरेंस कम्‍पनी लिमिटेड** को, (जिसे इसमें इसके पश्‍चात् कंपनी कहा गया है) इसकी अनुसूची के अंतर्गत अवधि के लिए आवेदन किया है और उस बीमाकृत व्‍यक्ति ने इसके पश्‍चात् वर्णित बीमा के प्रतिफलस्‍वरुप उसके प्रथम प्रीमियम के रुप में अथवा ऐसे बीमा के कारण दर्शित राशि का कंपनी को भुगतान किया है।

**अब यह पालिसी निम्‍नलिखित की साक्षी है :-**

यदि उक्‍त अवधि के दौरान या किसी ऐसी पश्‍चातवर्ती अवधि के दौरान जिसके लिए कंपनी नवीकरण प्रीमियम स्‍वीकार करने के लिए करार करे, उक्‍त अनुसूची में वर्णित कोई भी कांच टूटता है (जिसके अंतर्गत इस पॉलिसी का प्रयोजन खरोंच के पडने से हुआ शामिल नहीं है) जो निम्‍नलिखित के होने से या निम्‍नलिखित द्वारा सहायक होने के कारण नहीं हुआ है :-

1. अग्नि या विस्‍फोट
2. युद्ध आक्रमण, विदेशी शत्रु की कार्रवाई, संघर्ष (चाहे युद्ध जोखिम हुआ हो या न हुआ हो) गृह युद्ध, विद्रोह, बगावत, क्रांति, विप्‍लव, सैन्‍यशक्ति या हथियाई गई शक्ति, हडताल, दंगा या सिविल अशांति।
3. तूफान, बाढ, प्रभजन, ज्‍वालामुखी का फटना, भूकंप या प्राकृतिक उथल-पुथल।

कंपनी ऐसे कांच के वास्‍तविक मूल्‍य का जो क्रमश: प्रत्‍येक मद के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट कुल मूल्‍य तक होगा, बीमाकृत व्‍यक्ति को भुगतान करेगी या उसकी प्रतिपूर्ति करेगी।

परन्‍तु कंपनी बीमाकृत कांच के गलत वर्णन के लिए दायी नहीं होगी और जब तक कि नीचे अनुसूची में स्‍पष्‍ट रुप से न बताया गया हो, किसी कांच को समतल और सामान्‍य चमक की कोटि का माना जाएगा और उभरी नक्‍काशी, पारा लगाने, अक्षरांकन (लैटरिंग) किया हुआ मोडाव वाला या किसी भी प्रकार के सजावटी कार्य रहित समझा जाएगा इसके अतिरिक्‍त यह कि कंपनी नीचे वर्णित किसी अक्षरांकन के टूटने के लिए तब तक जिम्‍मेदार नहीं होगी जब तक कि ऐसी टूट उस कांच के जिसके साथ यह चिपकाया गया है, के टूटने के कारण या उसके परिणामस्‍वरुप न हो।

परन्‍तु यह और कि इसमें अंतर्विष्‍ट अथवा इस पर पृष्‍ठांकित शर्तों का सम्‍यक पालन और पूरा किया जाना जहॉं तक अपने-अपने स्‍वरुप के अनुसार अनुमति देगा उसे उसके अधीन बीमाकृत व्‍यक्ति के वसूली के अधिकार के लिए पूर्ववर्ती शर्तें मानी जाएंगी।

**छूटों पर प्रतिबंध**

**आपका ध्‍यान निम्‍न नोट जो कि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 ( यथासंशोधित) की ओर आकर्षित किया जाता है:-**

1. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, भारत में जीवन अथवा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा निकालते अथवा नवीनीकृत करते या जारी रखते समय, किसी भी व्यक्ति को एक प्रलोभन के रूप में पॉलिसी पर दिए प्रीमियम पर किसी प्रकार की छूटों पर देय कमीशन के पूर्ण या अंश पर किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं देगा अथवा अनुमति का प्रस्ताव नहीं देगा और ना ही पॉलिसी निकालने, नवीनीकृत करने अथवा जारी रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी कोई छूट स्वीकार करेगा, सिवाय ऐसी किसी छूट के जो बीमा की प्रकाशित विवरणिका अथवा सारिणियों में उल्लिखित के अनुसरण में हो |
2. इस धारा के प्रावधान के अनुपालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति अर्थदंड सहित दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपए तक का हो सकता है |

ग्राहकों को महत्‍वपूर्ण सूचना

बीमा अधिनियम 1938 के खंड़ 64-वीबी के अनुसार जब तक प्रीमियम अग्रिम प्राप्‍त नहीं होता तब तक कोई भी जोखिम नहीं माना जाएगा। इस प्रावधान के मद्देनजर आपसे एतद्द्वारा यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि अन्‍य सभी बातों के होत हुए नवीकरण सूचना में जैसा बताया गया है कि कोई भी जोखिम तब तक शामिल नहीं होगा जब तक आपके द्वारा कंपनी को संबंधित प्री‍मियम अदा नहीं किया जाता है । इस उदे्श्‍य से केवल कंपनी के प्राधिकृत एजेंटों या बैकरों को किए गए भुगतान को ही कंपनी को किया गया भुगतान माना जाएगा।

हम भरोसा करते हैं कि आप स्थिति को समझेंगें तथा संरक्षण को नवीनीकृत करने के लिए हमें नवीकरण निर्देशों को भेजते समय प्रीमियम भुगतान की व्‍यवस्‍था करेंगे।

शर्तें

1. इस पालिसी के अधीन दी जाने वाली या तैयार की जाने वाली प्रत्‍येक सूचना या संसूचना कंपनी के प्रधान या किसी शाखा कार्यालय या ऐजेंसी को, जिससे बीमाकृत व्‍यक्ति पत्र-व्‍यवहार करता है, लिखित में भेजी जाएगी।

2. यह पालिसी निम्‍नलिखित का बीमा नहीं करती :-

क) दरार पडे या दोषपूर्ण कांच।

ख) किसी भी किस्‍म के फ्रेमों या ढांचों को नुकसान।

ग) कांच बदलने के लिए किन्‍हीं फिटिंग या फिक्‍सचरों को हटाना या बदलना।

घ) तख्‍ते जडने का खर्च तथा किसी टूट-फूट को और पुन: कांच लगाने की घटना के बीच बीमाकृत व्‍यक्ति के कारोबार में रुकावट या विलम्‍ब के परिणामस्‍वरुप होने वाली हानि या नुकसान।

3. इस पॉलिसी में वर्णित सभी कांच तभी तक बीमाकृत हैं जब तक वे लगे हुए हैं। यदि ऐसे परसिरों के जिनमें इस पॉलिसी में वर्णित कांच लगे हुए हैं, परिसर में या उनकी किराएदारी, उपकिराएदारी, अधिभोग में या उनमें किए जा रहे व्‍यापार में कोई परिवर्तन किया जाता है या यदि परिसर खाली या अनुपयोगी हो जाए तो और प्रत्‍येक ऐसी दशा में उसकी सूचना कंपनी को तुरन्‍त दी जाएगी और यदि इसमें जोखिम बढ जाता है तो कंपनी को यह विकल्‍प होगा कि या तो उपयुक्‍त अतिरिक्‍त प्रीमियम प्रभार करे या बीमा को जारी रखना अस्‍वीकार कर दें।

4. यदि इसमें वर्णित कोई कांच टूट जाता है तो बीमाकृत व्‍यक्ति तुरन्‍त उसकी सूचना लिखित रुप में कंपनी को देगा और ऐसी टूट-फूट के बारे में पूर्ण विवरण देगा कि वह कैसे हुई और ऐसे साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करके जिनकी कंपनी उचित रुप में अपेक्षा करे, सबूत देगा और यदि ऐसी टूट-फूट के होने के दिन से पन्‍द्रह दिनों के भीतर कोई दावा नहीं किया जाता है तो बीमाकृत व्‍यक्ति को इस पॉलिसी के अधीन वसूल करने के सभी अधिकारों से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

5. टूटने के बाद कांच के अवशेष(साल्‍वजे ) कंपनी की संपत्ति होंगे और वे सावधा‍नीपूर्वक संभालकर रखे जाएंगे और यह कंपनी के विकल्‍प पर होगा कि वह बीमाकृत व्‍यक्ति को आंतरिक मूल्‍य के रुप में नकद भुगतान करे या उसके स्‍थान पर उसी किस्‍म से बना और उसी कोटि का कांच लगा दें। कंपनी इस पॉलिसी के संबंध में उन सभी प्रयोजनों के लिए बीमाकृत व्‍यक्ति के नाम का प्रयोग करने की हकदार होगी जिसमें कंपनी के फायदे के लिए विधिक कार्यवाही आरम्‍भ करना, प्रतिवाद करना, लागू करना या निपटान करना शामिल है।

6. यह पॉलिसी किसी ऐसी संपत्ति के बारे में प्रवर्तन में नहीं रहेगी जो बीमाकृत व्‍यक्ति से किसी अन्‍य व्‍यक्ति को जो वसीयत या विधि के प्रवर्तन से भिन्‍न हो यदि हस्‍तांतरित हो जाएगी, किन्‍तु तब प्रवृत्‍त रहेगी जब उसकी सूचना कंपनी को दी जाएगी और कंपनी द्रारा या उसकी ओर से उस पर पृष्‍ठां‍कित किसी ज्ञापन द्रारा बीमा का अस्तित्‍व मे रहना ऐसे अन्‍य व्‍यक्ति के पक्ष में घोषित कर दिया गया है।

7. यदि इस पॉलिसी द्रारा बीमा की गई किसी टूट-फूट के होने के समय उसी जोखिम के लिए लागू होने वाला अन्‍य बीमा हो भले ही वह अन्‍य बीमा जो उसी जोखिम के संबंध में लागू होता हो, चाहे बीमाकृत दारा वह किया गया हो या नहीं किया गया हो, तो कंपनी ऐसी टूट-फूट के बारे में किसी भुगतान के लिए आनुपातिक भाग से अधिक भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगी।

8. कंपनी बीमाकृत व्‍यक्ति को उसके अंतिम ज्ञात पते पर लिखित में सूचना देकर और मांग किए जाने पर पॉलिसी को असमाप्‍त अवधि के प्रीमियम के अनुपात में भुगतान करके इस पालिसी को रदद् कर सकती है।

9. यदि इस पालिसी के अधीन अदा की जाने वाली राशि की मात्रा के विषय में कोई मतभेद (दायिता अन्‍यथा मान्‍य होने वाली हो तो ऐसे मतभेद को अन्‍य सभी मुदद्रों से निरपेक्ष होकर मतभेद रखने वाले पक्षों द्रारा लिखित में नियुक्‍त मध्‍यथ के पास निर्णय के लिये भेज दिया जायेगा अथवा यदि वे एकमात्र मध्‍यस्‍थ के लिये राजी न हों तो ऐसे मतभेद को बतौर मध्‍यस्‍थ दो निष्‍पक्ष व्‍यक्तियों के निर्णय के लिए भेज दिया जायेगा जिसमें एक की नियुक्ति प्रत्‍येक पक्ष द्रारा लिखित में की जाएगी तथा ऐसी नियुक्ति समय-समय पर यथासंशोधित और ततसमय लागू माध्‍यस्‍थ अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्ष द्रारा इस विषय में लिखित अपेक्षा करने के दो माह के भीतर करेगा। यदि कोई एक पक्ष मध्‍यस्‍थ नियुक्‍त करने संबंधी सूचना लिखित में प्राप्‍त करने के बाद दो कैलेंडर माह के भीतर मध्‍यस्‍थ नियुक्‍त करने से इंकार करता है या असमर्थ रहता है तो अन्‍य पक्ष एक पक्ष मघ्‍यस्‍थ नियुक्‍त करने के लिए स्‍वतंत्र होगा तथा माध्‍यस्‍थों में सहमति होने की स्थिति में मतभेद को अधिनिर्णायक के पास निर्णय के लिए भेज दिया जायेगा तथा जो माध्‍यस्‍थम संबंधी कार्रवाई शुरु करने से पहले उनके द्रारा नियुक्‍त कर लिया जायेगा तथा जो मध्‍यस्‍थों की बैठकों की मध्‍यता करेगा।

य‍ह स्‍पष्‍ट करार किया जाता है तथा मान लिया जाता है कि यदि कंपनी ने इस पालिसी के अधीन या इसके संबंध में दायित्‍व का विरोध किया है या इसे स्‍वीकार नहीं किया है तो कोई मतभेद या विरोध माध्‍यस्‍थम के लिऐ नहीं भेजा जा सकता जैसा कि इससे पहले इसका प्रावधान किया गया है।

इसके द्रारा स्‍पष्‍ट रुप से यह विनिर्दिष्‍ट किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि इस पालिसी के अधीन कोई कार्रवाई अथवा मुकदमा करने के अधिकार से पहले यह शर्त होगी कि हानि अथवा क्षति कि राशि के संबंध में ऐसे मध्‍यस्‍थ, मध्‍यस्‍थों अथवा अधिनिर्णायक द्वारा किया गया पंचाट पहले ही प्राप्‍त कर लिया जाये।

इसके द्रारा स्‍पष्‍ट रुप से यह भी करार और घोषित किया जाता है कि यदि कंपनी इसके अंतर्गत किये गये किसी दावे के लिए बीमाकृत व्‍यक्ति के प्रति दायित्‍व अस्‍वीकार करेगी और ऐसे दावों की ऐसी अस्‍वीकृति की तारीख में बारह अंग्रेजी महीनों के अन्‍दर न्‍यायालय में वाद का विषय नहीं बनाया जाता तो उस दावे के विषय में यह मान लिया जायेगा कि उसका सभी दृष्टियों से परित्‍याग कर दिया गया है और इसके बाद उसकी इस पालिसी के अन्‍तर्गत वसूली नहीं की जा सकेगी।

नोट :- अगर इस नीति के किसी भी शब्द या पैरा के कानूनी व्याख्या के बारे में कोई विवाद है तो अंग्रेजी संस्करण को सही और विधिमान्‍य होगा।

अनुसूची

|  |
| --- |
| पालिसी सं: प्रस्‍ताव और घोषणा की तारीख :एजेंसी :  |
| बीमा की अवधिसे...............तक................ ( दोनों दिनों का समावेश)  |
| बीमाकृत व्‍यक्ति का नाम और पता :-  |
| कुल बीमित राशि:-प्रीमियम:-  |
| कांच किस परिसर में स्थित है :- कारोबार जो उसमें किया जाता है :- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| मद सं. | वर्गों की संख्‍या | कांच का वर्णन | कांच की स्थिति | मापमान इंचों या सेंटीमीटरों में | कुल मूल्‍य | कुल मूल्‍य |
| ऊंचाई | चौडाई | प्रत्‍येक सादा वर्ग का | अक्षरांकन स्‍टैंडिंग आदि का |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

इसके साक्ष्‍यस्‍वरुप इस पालिसी पर तारीख ............. ............ को ..................... पर हस्‍ताक्षर किए गए।

कृते दि ओरिएंटल इंश्‍योरेंस कम्‍पनी लिमिटेड

प्राधिकृत व्‍यक्ति